न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
11.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश बाबत जारी किये जाने अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
29.07.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बॅटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
67 / 2023	2023 / 00627	02.06.2023	29.07.2025 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

नरेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह आयु 41 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––वादी––

बनाम्

1. [illegible]न्द कँवर पत्नी झब्बरसिंह उम्र 59 वर्ष
2. [illegible]नी सिंह उर्फ रघुवीर सिंह पुत्र शोभाग सिंह उम्र 44 वर्ष
3. जयपाल सिंह पुत्र शोभाग सिंह उम्र 48 वर्ष
4. नरसी सिंह पुत्र शंकर सिंह उम्र 46 वर्ष
5. प्रेमकँवर पत्नी शंकरसिंह उम्र वर्ष
6. विक्रम सिंह पुत्र शोभाग सिंह उम्र 46 वर्ष
7. रतन कँवर पुत्री शंकरसिंह आयु 59 वर्ष
8. सोहन कँवर पुत्री शंकरसिंह आयु 56 वर्ष

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
9. सुलतानराम पुत्र घीसाराम आयु 43 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम अरणियाँ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
11. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
12. पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

––प्रतिवादीगण––

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:-

श्री श्रवण कुमार यादव, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री अनिल यादव, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 2 अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 3A, 6 अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 9 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसके 47/792 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन अभी तक नहीं हुआ है तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इचं पर हक हिस्सा अधिकार स्वामित्व होता है। प्रतिवादीगण को बिना विधिक तकास्मा कराए अन्तरित का हक अधिकार नहीं होता है। Signature Not Verified [illegible] प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के वर्तमान समय में जमीनों की बढ़ती हुई क[illegible] Digitally signed by Anil Kumar [illegible] 1 ता 9 द्वारा आये दिन मन में लोभ लालच पैदा Date: 2025.08.27 13:02:50 IST Reason: SelfAttested किया जाता है एंव झगडा किया जाता अनावश्यक रूप से वादी से वाद विवाद उत्[illegible] किया जाता है एंव झगडा किया जाता है तथा वादी का उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदि करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फिसाद एंव मरमार करने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 उतारू हो जाते है। इसलिए उक्त भूमि का वादी का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि का समुचित विकास एंव उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहा है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 उक्त वर्णित भूमि के विशिष्ठ भू–भाग का दीगर भू माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन, अंतरण कर दीगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर कराने पर आमादा है तथा वादी को उसकी हक, हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू–रूपांतरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने का अधिकारी है एंव भूमि का विधिक विभाजन कराने का अधिकारी है। बढती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त भूमियों का समुचित रूप से काश्त करने व उपयोग करने में अवरोध कारित करते रहते है तथा बात–बात पर झगड़ा फिसाद व मरने मारने पर उतारू हो जाते है। वादी का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादी अपनी आवश्यकतानुसार भूमियों का समुचित विकास एंव उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहा है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमियों का कानूनन विभाजन कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण कहने सुनने से नहीं मान रहे है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाती खातेदारी भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर लिया या दीगर भू माफिया लोगों को अंतरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अतंरण कर दिया तो वादी के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। वादी अपने हिस्से की भूमि [illegible] तौर पर महरूम हो जावेगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी [illegible] बेकदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण की उक्त गलत अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने उक्त भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो आजकल में करवाने हेतु कहते रहे तथा दिनांक 30.05.2023 को भूमियों का विधिक विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि भूमि को बिना विधिक तकारमा कराये दीगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बेचान, रहन, अतंरण कर दीगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाकर रहेगें तथा वादी को उसके हक हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाकर रहेगें तथा कृषि भूमि को बिना भू रूपांतरण करवाये परिवर्तन करके रहेगें। इसलिए बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे किः-कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य विधिक तकारमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस फ्रन्ट सहित करवाया जाकर वादी को उसके हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग-अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते तकारमा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 7, 8, 10 लगायत 12 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हुए एक वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 5, 7, 8, 10 लगायत 12 बावजूद सम्मन तामील हाजिर [illegible] नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किये जाने पर वादी की पहचान वादी वकील श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने की एंव प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री अनिल यादव एड0 व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 3, 4, 6 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 व प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने पहचान की जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में रखा गया। जिस पर उपस्थित वकील वादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना अवगत कराये जाने पर प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि वाद में वकील वादी व पक्षकारान प्रतिवादीगण के अधिवक्तागणों ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार व पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 07.01.2025 के अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन फ्रन्ट सहित करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बटा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बावत अपनी सहमति दौराने बहस व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 7.01.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– [illegible] से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 832/रीडर/2025 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा पालना [illegible] प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार [illegible] से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के [illegible]अ./2025 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त [illegible]कर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर समौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2074–2077 व नजरी नक्शा, प्रतिवादीगण पक्षकारान् द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित होकर उसके 47 / 792 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज हिस्सेनुसार व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमियों का अपने मध्य हुए राजीनामा अनुसार रास्ते की सुविधा के प्रावधान करते हुए उक्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य अभी तक विधिक विभाजन नहीं होना प्रकट होता है। वादी एंव प्रतिवादीगण को उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मोके पर चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मध्य वा[illegible] विधिक विभाजन करवाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को उस[illegible] हिस्से[illegible] री व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार[illegible] कायम किये जाने तथा प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण[illegible] वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की सहमति पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारगण अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से अकीन उभय पक्ष ने अपनी सहमति प्रकट की है। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी [illegible] दिनांक 04.06.2025 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1. आनन्द कँवर पत्नि झब्बरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार 2. जयपालसिंह पुत्र शोभाग सिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/396 सा. देह खातेदार 3. नरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार 4. नरसी सिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार 5. नानीसिंह उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र शोभागसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/396 सा. देह खातेदार 6. प्रेमकवंर पत्नि शंकरसिह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार 7. रतन कंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार 8. विक्रम सिंह पुत्र शौभाग सिंह	207	0.66 हैक्टर	बारानी 3	1.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाति राजपूत हिस्सा 47/396 सा. देह खातेदार 9. सुल्तान राम पुत्र घीसाराम जाति अहीर हिस्सा 19/66 सा. देह खातेदार 10. सोहन कंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 47/792 सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता – 1	0.6600	––	1.2300

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. सुल्तान राम पुत्र घीसाराम जाति अहीर सा. देह खातेदार	207/1	0.1600	बारानी–3	
	योग खाता	किता – 1	0.1600	बारानी–3	
2	1. आनन्द कॅवर पत्नि झब्बरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/12 2. नरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/12	207/2	0.5000	बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3 नरसी सिंह पुत्र शक्तीसिंह
जाति राजपूत हिस्सा 1/12

4 प्रेमकंवर पत्नि शक्तीसिंह जाति
राजपूत हिस्सा 1/12

5 रतन कंवर पुत्री शक्तीसिंह
जाति राजपूत हिस्सा 1/12

6. सोहन कंवर पुत्री शक्तीसिंह
जाति राजपूत हिस्सा 1/12

7. जयपाल सिंह पुत्र शोभाग सिंह
हिस्सा 1/6 राहिन
बीआरकेजीबी शाखा मूण्डरू

8. नानीसिंह उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र
शोभागसिंह जाति राजपूत
हिस्सा 1/6 राहिन
बीआरकेजीबी शाखा मूण्डरू

9. विक्रम सिंह पुत्र शोभाग सिंह
जाति राजपूत हिस्सा 1/6
राहिन बीआरकेजीबी शाखा
मूण्डरू

कुल योग	किता– 1	0.50	बारानी–3

[illegible] न अकन स्वीकार किया

अतः उपरोक्त [illegible] अलग–अलग की जावे।

जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये [illegible]

रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1654 / भू.अ. / 24 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested